



बिहार विधान सभा

कार्य सूची

सप्तदश विधान सभा
द्वितीय सत्र

वृहस्पतिवार, तिथि 18 मार्च, 2021 ई०
27 फाल्गुन, 1942 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

2. सर्वश्री आनन्द शंकर सिंह, अजीत शर्मा एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [सामान्य प्रशासन विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
[दिनांक 16 मार्च, 2021 से स्थगित]
3. सर्वश्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, भीम कुमार सिंह एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [समाज कल्याण विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
4. श्री अवध विहारी चौधरी, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [नगर विकास एवं आवास विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

5. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-15 के तहत "बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया नियमावली, 2018" की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
6. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा-23(3) के तहत "बिहार परिवार न्यायालय नियमावली, 2011" की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
7. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा-शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2013; बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा-शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा-शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2017; बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019; बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स, 2017 (अधिसूचना सं०-3066 दिनांक 06.03.19); बिहार उच्च न्याय

- * सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 एवं उक्त नियमावली का शुद्धि पत्र; बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स, 2017 (अधिसूचना सं०-7402 दिनांक 16.06.17); बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2013 एवं उक्त नियमावली का शुद्धि पत्र; बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2012; बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011 एवं बिहार न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1955 से संशोधित अधिसूचना सं०- 8390 दिनांक 26.08.10 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
8. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा "राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग नियमावली, 2021"; "राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक, प्रारूपक (ड्राफ्ट्समैन) संवर्ग नियमावली, 2021" एवं "राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक संवर्ग नियमावली, 2021" की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
9. बिहार विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना ।
10. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो) ।

मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

"बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021"

11. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
12. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश कुमार उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
13. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021" पर विचार हो ।
14. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021" स्वीकृत हो ।

"बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021"

15. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकेशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
16. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकेशोर प्रसाद उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
17. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकेशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021" पर विचार हो ।
18. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकेशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021" स्वीकृत हो ।

"बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021"

19. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकेशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
20. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकेशोर प्रसाद उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
21. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकेशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021" पर विचार हो ।
22. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकेशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021" स्वीकृत हो ।

“बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021”

23. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
24. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
25. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021” पर विचार हो ।
26. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021” स्वीकृत हो ।

“बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021”

27. विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री प्रमोद कुमार प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
28. विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री प्रमोद कुमार उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
29. विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री प्रमोद कुमार प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021” पर विचार हो ।
30. विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री प्रमोद कुमार प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021” स्वीकृत हो ।
31. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।


राज कुमार सिंह
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-02/2021- 1574

/वि०स०, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार/ राज्यपाल के सचिव, बिहार/ कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग / विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजीव कुमार)


उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-02/2021- 1574

/वि०स०, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ प्रेषित ।


(राजीव कुमार)


उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-02/2021- 1574

/वि०स०, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के निदेशक / उप सचिवगण/ अवर सचिवगण / श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।